



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1943 (श०)
(सं० पटना 588) पटना, बुधवार, 7 जुलाई 2021

सं० 06 एस०एस०(06)-41/2019-1513/मत्स्य
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)

प्रेषक :

केशवेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०,
विशेष सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना ।

द्वारा :

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय :

मत्स्य विकास योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) अन्तर्गत पूर्व से सृजित 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नये नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त मत्स्य विकास योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के अन्तर्गत पूर्व से सृजित 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नये नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। योजना का व्यय विवरणी अनुलग्नक-1 संलग्न है।

- कृषि रोड मैप 2017-22 के अनुरूप राज्य में मत्स्य विकास योजना हेतु प्रखंडस्तरीय मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत चौर विकास योजना, बायोप्लॉक योजना, किसानों/युवा उद्यमियों के लिए भ्रमण दर्शन-सह-प्रशिक्षण योजना को बड़े पैमाने पर लागू किया

- गया है। प्रखंड स्तर पर मत्स्य कृषकों को तकनीकी जानकारी, मत्स्य प्रसार कार्य से होने वाले लाभ तथा मत्स्य पालन में होने वाले कठिनाईयों के निराकरण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी पदाधिकारियों के नये पदों का सृजन किया गया है।
3. मत्स्य प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु नए तकनीकी प्रसार पदों को सृजित करने की आवश्यकता को देखते हुए, मत्स्य निदेशालय के क्षेत्राधीन संविदा आधारित राज्य स्कीम-मत्स्य प्रसार योजना के तहत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के सृजित 100 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए प्रथम चरण में 264 नये मत्स्य प्रसार पदाधिकारी (वेतन स्तर-7) के नियमित पदों (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) का सृजन किया गया है।
 4. प्रखण्डस्तरीय 264 पदों के सृजन के उपरान्त पदों के कार्यालयवार बँटवारा का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। पूर्व में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत सृजित 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित पदाधिकारियों की सेवा सृजित नए मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की नियमित पदस्थापन होने तक बनी रहेगी।
 5. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य), विभाग भर्ती नियमावली 2007 एवं संशोधित विभागीय भर्ती नियमावली 2020 के अनुरूप होगी। बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक मत्स्य द्वारा नियुक्ति कर पदस्थापित किया जाएगा।
 6. प्रखंड में पदस्थापित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों का मुख्यालय संबंधित प्रखंड पशु चिकित्सालय में होगा।
 7. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निदेशानुसार मत्स्य प्रसार का कार्य करेंगे। अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के सभी उपलब्ध जलक्षेत्रों का मत्स्योत्पादन, मत्स्यबीज संचयन आदि का रिकार्ड अपने पास रखेंगे तथा उसमें आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकी एवं योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा जलकर/तालाब के स्तर पर होने वाली समस्याओं के त्वरित एवं ससमय रूप से निदान करने हेतु जवाबदेह होंगे।
 8. जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रत्येक माह में कम से कम दो बार इनके साथ बैठक आहूत कर इनसे अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी प्राप्त करेंगे।
 9. दिनांक 29.11.2019 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 464 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी। परन्तु उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के स्वीकृत 464 पदों के विरुद्ध 264 पदों को ही प्रथम चरण में सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
 10. इन पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल वार्षिक व्यय-भार ₹18,09,72,000/- (अठारह करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार रु०) मात्र अनुमानित है। इन पदों के सृजन पर होने वाले व्यय भार का वहन मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष 2405- मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0001- मत्स्य विकास योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), विपत्र कोड-02.2405000010001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि विकलनीय होगा। उपबंधित राशि कम होने पर अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंध प्राप्त किया जाएगा।
 11. इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना, संबंधित जिलों के जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। निदेशक, मत्स्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
 12. दिनांक 31.03.2021 को आहूत मंत्रीपरिषद की बैठक में मद संख्या-14 के रूप में सम्मिलित करते हुए 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
 13. संचिका संख्या-06 एस० एस० (06)41/2019 के पृष्ठ संख्या-68/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। इसका डायरी क्रमांक-शून्य, दिनांक-17.06.2021 है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
विशेष सचिव।

अनुलग्नक-1									
मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0001-मत्स्य विकास योजना, विपत्र कोड 02-2405000010001 के अन्तर्गत 264 प्रखंड स्तर पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदस्थापन पर संभावित व्यय की विवरणी।									
(राशि लाख में)									
क्र०	पदनाम एवं वेतन स्तर	पदों की संख्या	मूलवेतन वेतन स्तर 7	जीवन यापन भत्ता (17%)	मकान किराया भत्ता औसतन (8%)	चिकित्सा भत्ता	कुल मासिक परिलब्धि	वेतन मद में कुल एक माह का व्यय-भार	वेतन मद में कुल वार्षिक व्यय-भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, (वेतन स्तर-7)	264	44900	7633	3592	1000	57125	15081000	180972000
कुल :-		264							180972000

(अठारह करोड़ नौ लाख बहतर हजार रु० मात्र)

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 588-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>